पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

अंतर्राष्ट्रीय योग्यता आमंत्रण पूर्वी क्षेत्र सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना–VII हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण, स्वामित्व, परिचालन तथा रखरखाव (बीओओएम) आधार पर ट्रांसमिशन सर्विस प्रदाता के संबधं में

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से जेनरेटिंग स्टेशनों से बिजली प्राप्त करने तथा पूलिंग स्टेशनों से तथा अन्य ग्रिड स्टेशनों के लिए लोड सेंटर्स तक बिजली के पारेषण और भारत में सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के विकास की योजना शुरू की है। ये परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के आधार पर चुने गए विकासकर्ता को प्रदान की जायेगी।

पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त बिड प्रोसेस कोर्डिनेटर, द्वारा निम्नलिखित ''अर्हता हेतु अनुरोध'' (आरएफक्यू) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के लिए निर्माण, स्वामित्व, परिचालन तथा रखरखाव (बीओओएम) आधार पर पूर्वी क्षेत्र सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना–VII के संबंध में ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक निविदादाता 'अर्हता हेतु अनुरोध' आरएफक्यू अधिसूचना और आरएफक्यू दस्तावेजों को देख सकते हैं। जो पीएफसीसीएल की वेबसाइट **www.pfcclindia.com पर 28.12.2012 से उपलब्ध होंगे।**

निविदादाता आरएफक्यू दस्तावेज **28.12.2012** से **28.01.2013** तक सभी कार्यदिवसों में 10.30 बजे (आईएसटी) तथा 16.00 बजे (आईएसटी) के बीच उपाध्यक्ष, पहली मंजिल, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 91–11– 23456132; फैक्सः 91–11–23456170; ई–मेलः **pktcl.itp@gmail.com** से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय ₹ 1,00,000/– अथवा 2,000 यूएसडी के अ-प्रतिदेय शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करना होगा।

आरएफक्यू दस्तावेज पीएफसीसीएल की वेबसाइट **www.pfcclindia.com** से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तथापि, इस प्रकार के मामलों में इच्छुक पार्टी आरएफक्यू के संबंध में अपने प्रत्युत्तर केवल ₹ 1,00,000/– अथवा 2000 यूएसडी के रूप में अ-प्रतिदेय शुल्क का भुगतान करके ही प्रस्तुत कर सकती हैं। इसे आरएफक्यू प्रत्युत्तर के साथ अलग से संलग्न करना होगा।

निविदाकर्ता किसी प्रकार के स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अंतिम तारीख **28.01.2013** है। आरएफक्यू **11.02.2013** को 15.00 बजे (आईएसटी) से पूर्व जमा कराए जा सकते हैं। आरएफक्यू प्रत्युत्तर इसी दिन 15.30 बजे (आईएसटी) खोले जाएंगे।

निविदादाता किसी प्रकार के अद्यतन स्पष्टीकरण/संशोधन/समयसीमा में विस्तार आदि, यदि हो, के संबंध में नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

परियोजनाः परियोजना कार्य में निर्माण, स्वामित्व, परिचालन तथा रखरखाव (बीओओएम) आधार पर पूर्वी क्षेत्र सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना–VII के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना शामिल है।

टिप्पणीः पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड को अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी जवाबदेही के समूची प्रकिया को रद्द अथवा परिवर्तित कर दे। यह कोई प्रस्ताव नहीं है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : पहला तल, "ऊर्जानिधि", 1 बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 भारत

निविदा प्रक्रिया समन्वयक

PFC CONSULTING LTD.

(पीएफसी लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी)
(भारत सरकार का उपक्रम)

एक पहल

विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

पहल साझेदार

केविप्रा cea

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण